कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांकः– प–6–क ( ) भील/अप/18/स्पेशल–1 दिनांकः– 30.11.18

महानिरीक्षक पुलिस,
अजमेर रेंज, अजमेर।

विषय–ः परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के संबंध में।

प्रसंग–ः सीएम हैल्प लाईन की आईडी न0 **11180674713802** सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार में अंकित तथ्यों की रिपोर्ट वृताधिकारी वृत्त सदर, जिला भीलवाडा से प्राप्त की गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बयान श्री सदीक खां मेवाती, जमना लाल गुर्जर, अभिषेक अग्रवाल, भैरू गुर्जर, गोपाल जाट, पप्पु गुर्जर लेखबद्ध किये जाकर शामिल जॉच किये गये तथा श्री कमलेश कुमार/बसन्त कुमार स.उ.नि., श्री उषाराम कानि0 2064, श्री बलवीर सिंह कानि0 1741 ,श्री करण सिंह कानि0 1111 का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी सद्धीक द्व ारा घटना नही होना एवं दिनांक 23.10.18 को पुर थाने पर पेशशुदा रिपोर्ट किसी के बहकावे मे आकर बढा चढा कर झूठी रिपोर्ट पेश करने एवं कार्यवाही नही चाहने बाबत रिपोर्ट जरिये डाक प्रेषित की जिसे शामिल पत्रावली की गई।

अब तक की जांच से यह पाया गया कि श्री सदीक मेवाती के पास वाहन ट्रेलर सं. आर. जे. 06 जी.सी. 5755 हैं जिस पर चालक जमना लाल पिता उदय लाल गुर्जर नि0 श्रीपुरा थाना बडलियास जिला भीलवाडा को रख रखा हैं। दिनांक 22.10.18 को रात्रि करीब 10 बजे भीलवाडा मे माल(जिन्दल की मिट्टी) खाली करके जोधडास से होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग पर धूलखेडा की ओर उक्त वाहन चालक जमना लाल गुर्जर उक्त वाहन को ले जा रहा था। उस समय उक्त वाहन खाली था। रास्ते मे सदीक के उक्त वाहन के चालक द्वारा सडक मार्ग सकरा होने व वाहन की लम्बाई अधिक होने से सामने से आ रही वाहन कार स्विफ्ट डिजायर सं. आर.जे. 06 सी.सी. 5829 के पिछे फाटक पर सदीक के वाहन का पिछे का हिस्सा रगड खा गया। वाहन चालक जमना लाल उक्त घटना के डर से वाहन को मौके पर नही रोककर वाहन को तेजगति से आगे धूलखेडा की ओर चला कर ले गया। उस समय चालक द्वारा उक्त घटना की बात सदीक को फोन पर बताने से सदीक तुरन्त मौके पर पंहुच गया। सदीक के पंहुचने से पहले पुर थाने की जीप व जाप्ता वंहा पंहुच गया। स्विफ्ट डिजायर का चालक व ट्रेलर चालक जमना लाल के बीच आपसी बोलचाल हो गई थी। उसके थोडी देर बाद अभिषेक जी अग्रवाल, भैरू लाल जी गुर्जर, गोपाल जी जाट, पप्पुजी गुर्जर नि0 ठगो का खेडा को समझाईस हेतु बुलाने पर मौके पर आ जाने से इनके द्वारा आपसी समझाईस कराने पर राजीनामा हो गया था। अगले दिन दिनांक 23.10.2018 को सदीक ने अपने परिचितो को उक्त घटना के बारे मे बताया जिस पर परिचितो के बहकावे मे एवं आवेश मे आकर एक रिपोर्ट बढाचढा कर झूठी कहानी बनाकर थाना पुर पर पेश कर दी थी। उक्त रिपोर्ट थाना पुर मे कार्यरत श्री कमलेश, बलवीर, उषाराम व करण सिंह के खिलाफ आवेशवश बढा चढा

कर लिखा दी थी। घटना के समय सदीक व उसके चालक जमना लाल के साथ कोई भी मारपीट नही हुई एवं न ही कोई लेनदेन हुआ हैं। सदीक के उक्त वाहन के चालक द्वारा वाहन चालक कार स्विफ्ट डिजायर व थाने की जीप से सवार पुलिसकर्मीयों मे आपसी बोल चाल होने से एवं प्रार्थी सदीक द्वारा अपने परिचितो के बहकावे मे आकर रूपये मांगने व रूपये देने की झूठी कहानी बनाकर एक झूठी रिपोर्ट थाना पुर पर पेश की थी। बाद मे सदीक को अहसास होने पर उस दिन की सच्ची घटना की रिपोर्ट व कार्यवाही नही चाहने बाबत रिपोर्ट मन सी.ओ. के समक्ष पेश की। मामले हाजा मे दौराने जांच प्रार्थी सद्वीक द्वारा अपने बयान मे घटना की ताईद नही कर अपने परिचितो के बहकावे मे आकर रूपये मांगने व रूपये देने की झूठी कहानी बनाकर झूठी रिपोर्ट थाना पुर पर पेश करना कथन किया हैं। मामले हाजा मे चश्मदीद गवाहान अभिषेक अग्रवाल, भैरू लाल गुर्जर, गोपाल जाट, पप्पु गुर्जर ने भी अपने बयानो में घटना की ताईद नही कर रास्ते मे सदीक के उक्त वाहन के चालक द्वारा सडक मार्ग सकरा होने व वाहन की लम्बाई अधिक होने से सामने से आ रही वाहन कार स्विफ्ट डिजायर सं. आर.जे. 06 सी.सी. 5829 के पिछे फाटक पर सदीक के वाहन का पिछे का हिस्सा रगड खाने से आपसी बोलचाल होने से सभी ने मिलकर समझाईस करा राजीनामा कराना एवं मौके पर किसी प्रकार का रूपयों का लेनदेन नही होना, पुलिसकर्मियो द्वारा ट्रेलर चालक के साथ मारपीट नही करना आदि कथन किया हैं।

अतः सम्पूर्ण जांच बयानात गवाहान, स्पष्टीकरण श्री कमलेश कुमार/बसन्त कुमार स.उ.नि., श्री उषाराम कानि0 2064, श्री बलवीर सिंह कानि0 1741 ,श्री करण सिंह कानि0 1111 एवं गोपनीय रूप से की गई मालूमात के आधार पर **श्री कमलेश कुमार/बसन्त कुमार स.उ.नि., श्री उषाराम कानि0 2064, श्री बलवीर सिंह कानि0 1741 ,श्री करण सिंह कानि0 1111 पर लगाये गये समस्त आरोप अप्रमाणित पाये जाते हैं।**

अतः जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

जिला पुलिस अधीक्षक,
भीलवाडा